

निसीखोला गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०७५



निसीखोलागाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावना: निसीखोलागाउँपालिका आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम निसीखोलागाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

- १। **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:** (१) यस ऐनको नाम “ आर्थिक ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन २०७५ साल श्रावण १ गतेदेखि निसीखोला गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
- २। **सम्पत्ति कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम एकिकृत/ सम्पत्ति कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
- ३। **भूमि कर (मालपोत):** गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका जग्गामा त्यस्तो जग्गाको उपभोगका आधारमा अनुसूचि (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । (एकीकृत सम्पत्ती कर लगाएको अवस्थामा भूमि कर नलाग्ने)
- ४। **घर जग्गा वहाल कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा अनुसूचि (३) बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।
- ५। **व्यवसाय कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूचि (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
- ६। **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि (५) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
- ७। **सवारी साधन कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने छ र उक्त कर सम्बन्धित प्रदेशले असुल गरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहको विभाज्य कोष मार्फत् गाउँपालिकासंचित कोषमा बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ ।
- ८। **विज्ञापन कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । यसरी कर संकलन गर्दा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशले निर्धारण गरेको विज्ञापन कर समेत संकलन गरी प्रदेश विभाज्य कोषमा राजश्व बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ।

- ९। **मनोरञ्जन कर:**गाउँपालिकाक्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (८) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।यसरी कर संकलन गर्दा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशले निर्धारण गरेको विज्ञापन कर समेत संकलन गरी प्रदेश विभाज्य कोषमा राजश्व बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ।
- १०। **बहाल बिटौरी शुल्क:**गाउँपालिकाक्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका हाट बजार, पसल वा सरकारी जग्गामा अनुसूचि (९) मा उल्लेख भए अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
- ११। **पार्किङ शुल्क:**गाउँपालिकाक्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूचि (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।
- १२। **सेवा शुल्क, दस्तुर:**गाउँपालिकालेनिर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूचि १२ मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
- १३। **पर्यटन प्रवेश शुल्क:**गाउँपालिकालेआफ्नो क्षेत्रभित्र निर्माण गरेका उद्यान, पार्क, चिडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा, संग्राहलय जस्ता सम्पदा उपयोग गरे वापत पर्यटकहरुबाट अनुसूची १३ मा उल्लिखित दरमा पर्यटन प्रवेश शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
- १४। **कर छुट:**यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन ।
- १५। **कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि:** यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

अनुसूची -१

सम्पति कर (घर कर)

| क्र.सं. | विवरण | करको दर रु. | कैफियत |
|---------|--|----------------|--------|
| १. | छाप्रो, फुसको छांना भएको कच्चि घर प्रति बर्ष | ५०/- | |
| २. | टिन, स्लेट ढुंगा, ट्यालको छांना भएको कच्चि घर प्रति बर्ष | २००/- | |
| ३. | RCC घर २ कोठा सम्मको प्रति बर्ष | ३००/- | |

| | | | |
|----|---------------------------------------|-------|--|
| ४. | RCC घर 4 कोठा सम्मको प्रति बर्ष | ४००/- | |
| ५. | RCC घर 6 कोठा भन्दा माथिको प्रति बर्ष | ७००/- | |

अनुसूची -२

भूमिकर (मालपोत) :

मध्य पहाडी लोक मार्गको दायँबायाँमा within 500 meters पर्ने जग्गाको निम्न अनुसार मालपोत दर कायम गर्ने

| क्र.सं. | विवरण | करको दर रु. | कैफियत |
|---------|---------------------------------|-------------|--------|
| १. | न्यूनतम - 1 रोपनी | 10/- | |
| २. | ५ रोपनी सम्म प्रति रोपनी | 2०/- | |
| ३. | १० रोपनी सम्म प्रति रोपनी | 3०/- | |
| ४. | १० रोपनी भन्दा माथि प्रति रोपनी | 5०/- | |

माथि उल्लेखित क्षेत्र भित्र नपर्ने यस गाउँपालिकाको सिमा भित्रको सम्पूर्ण जग्गामा निम्न अनुसार मालपोत दर कायम गर्ने ।

| क्र.सं. | विवरण | करको दर रु. | कैफियत |
|---------|---------------------------------|-------------|--------|
| १. | न्यूनतम 1 रोपनी | 1०/- | |
| २. | २० रोपनी सम्म प्रति रोपनी | 15/- | |
| ३. | ४० रोपनी सम्म प्रति रोपनी | 20/- | |
| ४. | ६० रोपनी सम्म प्रति रोपनी | 25/- | |
| ५. | ६० रोपनी भन्दा माथि प्रति रोपनी | 30/- | |

प्रत्येक बर्ष मालपोत नबुझाउने व्यक्तिलाई प्रति बर्ष १०%का दरले मालपोत जरीवाना थप्दै लगिने छ

अनुसूची -३

बहाल कर:- यस गाउँपालिका क्षेत्र भित्र घर,जग्गा, टहरो, छाप्रो, पसल, ग्यारेज, गाडी, मेसिनरी औजार, डोजर, लगाएत निर्माणका साधन लगाएत र अन्य साधनहरु भाडामा लगाएमा भाडा रकमको १०% बहाल कर लाग्ने छ ।

अनुसूची -४

ब्यवसाय कर:-

यस गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको व्यवसायमा निम्न अनुसार कर लाग्ने छ ।

| क्र.स. | विवरण | करको दर रु. | कैफियत |
|--------|--|-------------|--------|
| १ | चिया,नास्ता,सामान्य किराना पसल, सामान्य कस्मेटिक पसल | ५००/- | |
| २ | रेस्टुरेन्ट, होटेल, बार | २०००/- | |
| ३ | खाध्यान्न पसल, किराना पसल | २०००/- | |
| ४ | तयारी पोसाक तथा काँचो कपडा पसल | २०००/- | |
| ५ | स्टेसनरी तथा खेलकुद सामग्री पसल | १०००/- | |
| ६ | मासु पसल | १५००/- | |
| ७ | बाल काट्ने सैलुन | १०००/- | |
| ८ | ब्युटी पार्लर | २०००/- | |
| ९ | निर्माण सामग्री पसल | २५००/- | |
| १० | भाँडा पसल | २५००/- | |
| ११ | मोटर साइकल वर्कशप | २०००/- | |
| १२ | जिप.बस, ट्रक, ट्रयाक्टर वर्कसप | ३०००/- | |
| १३ | सामान्य औषधि पसल | २०००/- | |
| १४ | ल्याव, एक्सरे सहितको औषधि पसल | ३०००/- | |
| १५ | सुनचाँदी पसल (सानो) | २०००/- | |
| १६ | सुनचाँदी पसल (ठुलो) | ३०००/- | |
| १७ | मदिरा तथा सुर्तीजन्य पसल | ४०००/- | |
| १८ | सामानको थोक बिक्रेता (गल्ला तथा किराना) | ५०००/- | |
| १९ | टेलरिंग पसल | १०००/- | |
| २० | निर्माण ब्यबसायी (ग) | ५०००/- | |
| २१ | निर्माण ब्यबसायी (ख) | १००००/- | |
| २२ | निर्माण ब्यबसायी (क) | २५०००/- | |
| २३ | ग्रिल उद्योग | ३०००/- | |
| २४ | फर्निचर उद्योग तथा ब्यबसाय | ३०००/- | |
| २५ | खाद्य उद्योग (समोसा, पाउरोटी, चाउमिन, चाउचाउ) | २०००/- | |
| २६ | लघु जल बिद्युत आयोजना प्रति किलो वाट | १५०/- | |

| | | | |
|----|--------------------------|---------|--|
| २७ | कुटानी पिसानी मिल | १०००/- | |
| २८ | कुटानी पिसानी पेलानी मिल | १५००/- | |
| २९ | क्रसर उद्योग | २५०००/- | |
| ३० | अन्य उद्योग | १०००/- | |
| ३१ | ईटा तथा ब्लक ब्यबसाय | ५०००/- | |
| ३२ | अन्य उद्योग तथा ब्यबसाय | २०००/- | |
| ३३ | माछा मार्ने अनुमति | १०००/- | |

अनुसूची -५

दफा ६ संग सम्बन्धित

क० जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तु कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी, वनकस, कबाडी माल र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जिवजन्तु वाहेकका अन्य मृतवामारिएकाजिवजन्तुकोहाड, सिङ, प्वाँख, छालाजस्तावस्तुकोब्यबसायककारोबार:-

ख० गाउँपालिका भित्रका कवाडी वस्तुमा न्यूनतम रु. ५०,०००/-मा ठेक्का आव्हान गर्ने ।

ग) सामुदायिक वन - प्रत्येक वनबाट रु १००० ।

| क्र.स. | विवरण | करको दर रु. | कैफियत |
|--------|-------------------------|------------------|--------------------|
| १ | गाई, भैसी, रागो | प्रति गोटा ५००/- | गा पा बाहिर लैजादा |
| २ | भेडा, बारब्रा, वोका आदि | प्रति गोटा १०१/- | |

अनुसूची -६

सवारी साधन कर:

बार्षिक सवारी कर

| क्र.स. | विवरण | करको दर रु. | कैफियत |
|--------|------------------------------|-------------|--------|
| १ | मोटर साइकल/स्कुटर | २००/- | |
| २ | जिप/कार/भ्यान/पिकअप | ५००/- | |
| ३ | मिनी बस/मिनी ट्रक/ट्र्याक्टर | ७५०/- | |
| ४ | बस/ट्रक/टिपर/ट्रेलर | १०००/- | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------|--|
| ५ | टायरवाला मेसिन (ब्ल्याच) | ५०००/- | |
| ६ | चेनवाला एक्साभेटर एन्ड २०० मुनिको | ८०००/- | |
| ७ | चेनवाला एक्साभेटर एन्ड २०० माथिको | १००००/- | |

अनुसूची -७

बिज्ञापन कर:

होर्डिङ बोर्ड तथा भित्ते लेखनको प्रति स्क्वर फुट रु.५००/- प्रति बर्षका दरले कर लगाउने ।

अनुसूची -८

मनोरञ्जन कर :

| क्र.स. | विवरण | करको दर रु. | कैफियत |
|--------|--------------------------|-------------|--------|
| १ | मेला संचालन प्रत्येक पटक | ५,०००/- | |

अनुसूची -९

सेवा शुल्क तथा दस्तुर:

| क्र.स. | विवरण | करको दर रु. | कैफियत |
|--------|---|----------------------------|--------|
| १ | सम्पति मूल्यांकन, मूल्यांकन अंकको | ०.१ प्रतिशतले हुन आउने रकम | |
| २ | सिफारिस (नागरिकता/गरिव/बिपन्न लगाएत सामान्य प्रकारको) | १००/- | |
| ३ | मालपोत सिफारिस | १००/- | |
| ४ | प्रमाणित नेपालको प्रयोजन | ३००/- | |
| ५ | प्रमाणित बैदेशिक प्रयोजन | ५००/- | |
| ६ | काउन्सिल प्रमाणिकरण | ५००/- | |
| ७ | गैर सरकारी संस्था सिफारिस | २०००/- | |
| ८ | अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था सिफारिस | ५०००/- | |
| ९ | क्लब/आमा समूह/बाल समूह दर्ता सिफारिस | ५००/- | |

| | | | |
|----|---|---------------------|---------------|
| १० | ब्यबसाय सम्बन्धि सिफारिस | ५००/- | |
| ११ | बिद्युत जडानको लागि सिफारिस | ५००/- | |
| १२ | घरको नक्सा पास (लोकमार्ग आसपास) 500 मिटरको दुरीभित्र पर्नेमा | १०/- प्रति वर्ग फुट | |
| १३ | घरको नक्सा पास (लोकमार्ग बाहेक माथिल्लो भाग) 500 मिटर बाहिर पर्नेमा | ५/- प्रति वर्ग फुट | |
| १४ | रोहवरमा बसी कागजात गरेको न्यूनतम | ५००/- देखि माथि | |
| १५ | परामर्श सेवा दर्ता सिफारिस | २०००/- | |
| १६ | पशु ब्यबसाय फर्म दर्ता | ५००/- | |
| १७ | पशु ब्यबसाय चरिचरण प्रति गोटा | १०/- | |
| १८ | मिलापत्र | ५००/- | |
| १९ | लिखित प्रतिलिपी | ५०/- | |
| २० | टेलिफोन/नेटवर्कको टावर | १००००/- | |
| २१ | बोर्डिङ स्कुल अनुमति | १००००/- | |
| २२ | बोर्डिङ स्कुल कक्षा | ५०००/- | |
| २३ | बोर्डिङ स्कुल ठाउँ सारी | ५०००/- | |
| २४ | बोर्डिङ स्कुल बाषिक कर (आधारभुत तह) | ४०००/- | |
| २५ | बोर्डिङ स्कुल बाषिक कर (माध्यमिक तह) | १००००/- | |
| २६ | लघु बित्त कम्पनि बाषिक कर | ५०००/- | |
| २७ | सहकारी संस्था, गैह सरकारी संस्था बाषिक कर | १०००/- | |
| २८ | बैंक तथा वित्तिय संस्था बाषिक कर (क बर्ग) | १००००/- | |
| २९ | बैंक तथा वित्तिय संस्था बाषिक कर (ख बर्ग) | ८०००/- | |
| ३० | बैंक तथा वित्तिय संस्था बाषिक कर (ग बर्ग) | ५०००/- | |
| ३१ | बैंक तथा वित्तिय संस्था बाषिक कर (घ बर्ग) | ३०००/- | |
| ३२ | घर जग्गा कारोवार प्रति | १०००/- | |
| ३३ | वसाईसराई सहयोग दस्तुर | २,०००/- | (गा पा वाहिर) |

अनुसूची -१०

गिट्टी/बालुवा/ढुंगा खानी उद्योग:

| क्र.स. | विवरण | करको दर रु. | कैफियत |
|--------|------------------------------------|-------------|--------|
| १ | गिट्टी बालुवा ढुंगा प्रति ट्रेक्टर | १००/- | |

| | | | |
|---|---|-------|--|
| २ | गिट्टी बालुवा ढुंगा प्रति ट्रक | २००/- | |
| ३ | गिट्टी बालुवा ढुंगा प्रति टिपर | ३००/- | |
| ४ | छाना छाउने स्लेट ढुंगा खरबर प्रति गोटा | १/- | |
| ५ | टायल बनाउने ढुंगा कटिंग गरेको प्रति गोटा | १/- | |
| ६ | टायल बनाउने ढुंगा कटिंग नगरेको प्रति गोटा | ५/- | |

नोट: १. निसीखोला गाउँपालिका भित्रका नदिनाला वा खोलाभित्र डोजर वा सो जन्य हेभि इकिप्युमेन्ट प्रयोग गरेको भेटिएमा तत्काल कारबाहि स्वरुप रु ५००० र कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाहि गरिनेछ ।

२. निसीखोला गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाका खोलानालामा रहेको गिट्टी , ढुंगा, बालुवा निकसिका लागि गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयले नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाई गरेको दायरामा ल्याउनेछ ।

(च) आगामी आ.व.को लागि अनुमानित कर तथा गैर कर राजस्व रकम

रु हजारमा

| सि.नं. | राजस्वको क्षेत्रहरु | गत आ.व.को यथार्थ रकम | चालु आ.व.को संशोधित अनुमान | आगामी आ.व.को अनुमान | कैफियत |
|--------------|---|----------------------|--|---------------------|--------|
| | सम्पत्ती कर(घरकर र भुमिकर) | | आ.व. ०७४/७५ मा राजस्वका क्षेत्र छुट्टाएर राजस्वको अनुमान नगरिएको पाईएको हुँदा सोहि बमोजिम राख्न नसकिएको । | ४७,००० ।- | |
| | घरजग्गाबहाल कर | | | २,००,००० ।- | |
| | व्यवसाय कर | | | ३५,०००।- | |
| | भूमीकर , मालपोत | | | ३,५०,००० ।- | |
| | विज्ञापन कर | | | १०,००० ।- | |
| | जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर | | | १,५०,०००।- | |
| | सेवा शुल्क | | | १०,००,०००।- | |
| | सवारि कर | | | ५०,०००।- | |
| | मनोरञ्जन कर | | | २०,०००।- | |
| | ढुगां, गिट्टी बालुवा | | | ८,००,००० ।- | |
| | गैरकर राजस्व (जफत, जरिवाना, दण्ड शुल्क) | | | ३३,०००।- | |
| जम्मा | | | | ३०,१०,०००।- | |

राजश्व परामर्श समितिको सिफारिस अनुसार आगामीआ.व. २०७५।७६ मा गाउँपालिकाले लगाउने कर तथा शुल्क, दस्तुर आदि बाट कुल ३०,१०,०००।-(तिस लाख दश हजार रुपैया मात्र) राजश्व प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । जसको क्षेत्रगत अनुमान सोहि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । संचित कोषमा बाँकि रहेको अनुमानित रकम रु. ५०,००,००० (अक्षररूपी रु. पचास लाख मात्र) हुनेछ ।

मिति २०७५ साल जेष्ठ महिनाको १५ गते संघिय संसदमा संघिय सरकारका माननीय अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेट घोषणामाआ.व. २०७५।७६ मा यस गाउँपालिकाको लागि नेपाल सरकारले दिने अनुदानको हिस्सा देहाएवमोजिम रहेको छ ।

| अनुदानको प्रकार | रकम रु | कैफियत |
|------------------|--|--------|
| वित्तिय समानिकरण | ८,३४,७१,०००।- | |
| राजश्ववाँडफाँड | ७,१५,४४,०००।- | |
| सशर्त अनुदान | ९,६५,००,०००।- | |
| जम्मा रु | २५,१५,१५,०००।-(पच्चीस करोड पन्ध्र लाख पन्ध्र हजार रुपैया मात्र) | |

त्यसैगरी मिति २०७५ सालअसार महिनाको १ गते प्रदेश सभामा प्रदेश नं. ४ का माननीय आर्थीक मामिला तथा योजना मन्त्रीले पेश गरेको बजेट घोषणामा आ.व. २०७५।७६ मा यस गाउँपालिकाको लागि प्रदेश सरकारले दिने अनुदानको हिस्सा देहाएवमोजिम रहेको छ ।

| अनुदानको प्रकार | रकम रु. | कैफियत |
|------------------|--|--------|
| वित्तिय समानिकरण | १,१३,९७,०००।- | |
| राजश्व वाँडफाँड | २२,३४,१५७।- | |
| जम्मा रु | १,३६,३१,१५७।-(एक करोड छत्तिस लाख एकत्तिस हजार एक सय सन्ताउन्नमात्र) | |

संघिय सरकार एवं प्रदेश सरकारबाट प्राप्त शसर्त अनुदान, राजश्व वाँडफाँड, वित्तिय समानिकरण अनुदान एवं सम्भावित राजश्व समेतका आधारमा यस वर्षको कुल बजेट रु.२७,३१,५६,१५७।- (छब्बिस करोड एकाउन्न लाख छयालिस हजार एक सय सन्ताउन्न) रुपैयाको हुनेछ ।